



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245733
CG-DL-E-05052023-245733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2018]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 2018]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2106(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. २८६८ (अ) तारीख २४ जून २०२२, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड ३, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ५४८D के कि.मी. २५.६०० से कि.मी. ४२.६०० (अहमदपुर-कोपरा-किनगाव-अंबेजोगाई-केज-मांजरसुम्बा-पाटोदा-जामखेड कि.मी. ०.००० से कि.मी. १६८.६०० नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग ५४८D का भाग) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्हड शोल्डर सहित २-लेन/ ४-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (३) के अधीन तारीख "१८, नोव्हेंबर, २०२२" को "दैनिक वैद्यनाथ वार्ता" और "सांय दैनिक पाटोदा संचार" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ५४८D के कि.मी. २५.६ से कि.मी. ४२.६ (अहमदपुर-कोपरा-किनगाव-अंबेजोगाई-केज-मांजरसुम्बा-पाटोदा-जामखेड कि.मी. ०.००० से कि.मी. १६८.६०० नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग ५४८D का भाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: बीड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: परळी				
	गांव का नाम: धर्मापुरी				
1	2045	निजी	एग्रिकल्चर	0.69	१) काशीनाथ मलकार्जुनआप्पा बुरांडे २) सोमनाथ मलकार्जुनआप्पा बुरांडे समाईक (२०४५)
			कुल	0.69	

[फा. सं. NH-12014/98/2016-MAH(P-6)/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2106(E).—whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No 2868(E) dated 24th June 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / two lane with paved shoulder / four laning etc.) maintenance. management and operation of NH548D on the stretch of Km. 25.600 to 42.600 (Ahmedpur-Kopra-Kingaon-Ambajogai-Kaij-Manjarsumbha-Patoda-Jamkhed Km. 0.000 to 168.6000, New NH 548D) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Vaidyanath Varta" and "Daily Patoda Sanchar" dated "18, November 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH548D in the stretch of land from NH548D (Parli) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: BEED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Parali				
	Village: Dharmapuri				
1	2045	Private	Agriculture	0.69	1) Kashinath Malkarjunappa Burande 2) Somnath Malkarjunappa Burande - Samaik 2045
			TOTAL	0.69	

[F. No. NH-12014/98/2016-MAH(P-6)/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.